पत्रांक– कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 ....

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

बिहार राज्य की काराओं में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–10/2013 के आलोक में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 2355/आ० दिनांक 23.07.2015 द्वारा कक्षपाल के पद के लिए प्रशिक्षित गृह रक्षक श्रेणी में अधियाचित पद के विरूद्ध चिकित्सकीय परीक्षण एवं नियुक्ति हेतु कुल 660 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा प्राप्त हुई। तद्आलोक में निरीक्षणालय के पत्रांक 4335 दिनांक 24.07.2015 द्वारा कुल 660 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय एवं अन्य जाँच दिनांक 10.08.2015 से 13.08.2015 के बीच कराने हेतु बुलावा पत्र भेजा गया। उक्त के आलोक में कुल 660 के विरूद्ध 504 अभ्यर्थीगण उपस्थित हुए और जाँचोपरान्त तत्काल 437 (चार सौ सैंतीस) अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया। तद्आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–4777 दिनांक 14.08.2015 द्वारा 437 कक्षपालों की नियुक्ति की गई। शेष बचे अभ्यर्थियों को कतिपय त्रुटि यथा कागजातों की त्रुटि, चिकित्सीय त्रुटि के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की गई। उक्त त्रुटियों का निराकरण कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदनों की सम्यक् समीक्षा करने एवं योग्य उम्मीदवारों की कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–5336 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया। तद्नुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा, चिकित्सकीय परीक्षण एवं कागजातों की जाँच के आधार पर त्रुटि निराकरण के पश्चात् संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोलिखित शर्तो के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान् पे–बैंड 5200–20200+ग्रेड वेतन 1900/– में एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ प्रशिक्षित गृह रक्षक कोटे से निम्नांकित अभ्यर्थियों को कक्षपाल के पद पर पूर्णतः औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र0	रौल नं0	अभ्यर्थियों के नाम	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	20420088	श्री अमर नाथ सिंह	मधुबनी	केन्द्रीय कारा, गया
2	20420392	श्री दारा सिकवा	गया	मंडल कारा, मधुबनी
3	20420006	श्री ब्रजेश कुमार	औरंगाबाद	मंडल कारा, दरभंगा
4	20621187	श्री कौशल किशोर भारती	दरभंगा	उपकारा, शेरघाटी
5	20320077	श्री मो0 मुबारक हुसैन	सहरसा	उपकारा, बगहा
6	20620998	श्री जितेन्द्र कुमार महतो	सारण (छपरा)	मंडल कारा, बांका

7	20620823	श्री रामनरेश सहनी	समस्तीपुर	मंडल कारा, भभुआ
8	20620019	श्री निर्मल कुमार पासवान	रोहतास	मंडल कारा, अररिया
9	20520293	श्री सुनील पासवान	जहानाबाद	मंडल कारा, बेगुसराय
10	20621158	श्री मनोज कुमार पासवान	सहरसा	मंडल कारा, लखीसराय
11	20621097	श्रीमती सुजाता प्रसाद	पटना	उपकारा, दाउदनगर
12	20621159	श्रीमती लालसा कुमारी	रोहतास	उपकारा, शेरघाटी
13	20220024	श्री किशोर राम	कैमूर	मंडल कारा, सीतामढ़ी
14	20520382	श्री नरेश कुमार शुक्ला	पटना	मंडल कारा, शिवहर
15	20621099	श्री बासुकी यादव	मधुबनी	मंडल कारा, जमुई
16	20620803	श्री पवन कुमार	भागलपुर	मंडल कारा, सीवान
17	20320166	श्री रितुकेश कुमार राय	बक्सर	मंडल कारा, मुंगेर
18	20220230	श्री धनन्जय कुमार	सहरसा	मंडल कारा, शेखपुरा
19	20220158	श्री बबलू कुमार पासवान	सहरसा	मंडल कारा, गोपालगंज
20	20520074	श्री बैाथम कुमार	भागलपुर	मंडल कारा, छपरा
21	20620248	श्री मन्टु कुमार दास	किशनगंज	केन्द्रीय कारा, बक्सर
22	20220086	श्री पंकज कुमार शर्मा	किशनगंज	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर
23	20620254	श्री प्रदीप कुमार चौहान	किशनगंज	मंडल कारा, नवादा
24	20420163	श्री चंदन कुमार	किशनगंज	मंडल कारा, बेतिया
25	20320152	श्री सुधाकर पासवान	सहरसा	केन्द्रीय कारा, बक्सर
26	20220207	श्री विनोद कुमार	गया	मंडल कारा, सहरसा
27	20621149	श्री कृष्ण भगवान राम	बक्सर	मंडल कारा, सुपौल
28	20220073	श्रीमती सावित्री साव	नवादा	उपकारा, उदाकिशुनगंज
29	20621044	श्रीमती रामदुलारी कुमारी	गया	मंडल कारा, कटिहार
30	20320207	श्री विजय कुमार सिंह	पूर्णियाँ	मंडल कारा, समस्तीपुर
31	20620847	श्री अखिलेश कुमार	पूर्णियाँ	केन्द्रीय कारा, बक्सर

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित पदस्थापित कारा में इस आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह नियुक्ति तत्काल औपबंधिक/अस्थायी रूप से छः माह के लिए इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के सत्यापन के संबंध में अथवा अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अन्य प्रमाण–पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से कराए जाने के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाएगी तो नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

4. नियुक्त कक्षपाल का योगदान स्वीकृत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में उनसे दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या–2469 दिनांक 16.11.2005 के प्रावधानानुसार बिहार सरकार कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान प्रभावी होगें।

6. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि उनके कारा में पदस्थापित किए जा रहे नव नियुक्त कक्षपालों का योगदान पुनः उनके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच भंलीभांति करते हुए एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अन्य प्रमाण–पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से तथा उनके चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के लिए सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा विशेष शाखा से छः माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पुष्टि कराए जाने के फलाफल से मुख्यालय को भी अवगत कराएँगे।

7. उपरोक्त नवनियुक्त कक्षपालों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि अधोहस्ताक्षरी से अधिकतम तीन माह के अन्दर अवश्य करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कक्षपालों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. किसी भी मामले में किसी प्रकार की शंका का निराकरण अथवा मार्गदर्शन हेतु सूचना मुख्यालय को तुरंत अवगत कराएँगे।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 .... पटना, दिनांक......../......../2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित नव नियुक्त कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कारा में योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित प्रतियों/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रदत प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ भी ले जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त के साथ–साथ इस आशय का शपथ पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सही हैं।

ह0
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 .... पटना, दिनांक......../......../2017

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सभी केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अधीक्षकों को निदेश है कि नव पदस्थापित कक्षपालों के आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं वांछित सामग्री कारा निर्माणशालाओं से अविलम्ब प्राप्त कर नव नियुक्त कक्षपालों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी वृत काराधीक्षकों को निदेश है कि वृताधीन नव नियुक्त कक्षपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तीन माह के अन्दर वृत स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कारा एवं वृत कारा की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे कि कारा सुरक्षा प्रभावित न हो।

4. उपरोक्त आदेश की सभी कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जाए।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 .... पटना, दिनांक......../......../2017

प्रतिलिपिः–सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2355/आ० दिनांक 23.07.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 .... पटना, दिनांक......../......../2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 .... पटना, दिनांक......../......../2017

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था०(कक्ष०)02–30/2015 पार्ट–01 ...414 पटना, दिनांक...30/01../2017

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग को सी0डी0 सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथावत्।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।